न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 42/2021 जिला सीकर

1. केसर देवी पत्नी रूपाराम,
2. जगदीश प्रसाद पुत्र रूपाराम, समस्त जाति–जाट, निवासी दौलपुरा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर। –अपीलान्टस

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार जी दांतारामगढ, जिला सीकर।
2. मोहन लाल पुत्र सांवलराम, जाति जाट निवासी ग्राम दौलपुरा, जिला सीकर। –रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 16.07.2021

अपील संख्या 43/2021 जिला सीकर

1. केसर देवी पत्नी रूपाराम,
2. जगदीश प्रसाद पुत्र रूपाराम पुत्र बेगाराम, जाति जाट, निवासी दौलपुरा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर। –अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार जी दांतारामगढ, जिला सीकर।
2. मोहन लाल पुत्र सांवलराम, जाति जाट निवासी ग्राम दौलपुरा, जिला सीकर। रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी जी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 16.07.2021

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक
2. रेस्पों. नं. 1 की ओर से श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता
3. रेस्पोडेन्ट नं. 2 की ओर से श्री रघुवीर सिंह राठौड

निर्णय

दिनांक –22.06.2022

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 16.07.2021 के खिलाफ दिनांक 06.09.2021 को प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों मे रखी जावें । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 24.11.2021 के द्वारा ग्राम दौलपुरा तहसील दांतारामगढ के ख.नं. 185, 659, 660, 661, 669, 194, 715/193 एवं ग्राम अहीर का बास पटवार हल्का रामगढ के खसरा नं 2 मे से रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर ने तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर के दिनांक 24.11.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 24.11.2021 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना0 करण रास्ते के पृथक खसरा नंबर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये एवं

Scanned by CamScanner

नक्शे में तरमीम करने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखने तथा तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.07.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर दिनांक 16.07.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 185, 194 वाके ग्राम दौलपुरा एवं खसरा नम्बर 2 ग्राम वाके अहीर का बास के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। अब नवीन रास्ता कायम कर दिया गया जबकि अन्य स्थान पर पूर्व में रास्ता मौजूद है। पटवारी हल्का कभी मौके पर नहीं आये न कभी कोई नोटिस ही दिया न कभी कोई लेकर ही आया। विवादित भूमि में जो प्रस्तावित रास्ता कायम किया गया है वह कभी न था न है उक्त भूमि के उत्तरी और व पश्चिमी और अपीलान्टान् ने रास्ता हेतु भूमि छोड रखी है जिससे आवागमन हो रहा है। विद्वान एस.डी.ओ. ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एक पक्षीय, क्षेत्राधिकार–विहिन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नया रास्ता दर्ज करने का धारा–251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में तहसीलदार को एवं धारा 251(ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में एस.डी.ओ. को अधिकार केवल सभी खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने पर ही अधिकार प्राप्त है। तथा किसी भी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार 131, 132 भू–राजस्व अधिनियम एवं लैण्ड रेवेन्यू रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 व 86 के अन्तर्गत किसी खातेदार काबिज रिकॉर्डेड काश्तकार की भूमि से राजस्व रिकार्ड तथा मौके पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं कर सकती है। खातेदार काबिज काश्तकार को बिना कोई नोटिस जारी किये ही तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से कोई कदीमी रास्ते से चालू व स्थाई या कच्चा रास्ता चालू नहीं होते हुये भी राजस्व रिकार्ड एवं नजरी नक्शे में खातेदार काबिज व्यक्ति की कृषि भूमि में से गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जावे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई विचार न कर निर्णय देने में सरासर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विपरीत निर्णय पारित करने में भूल की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नोटिस की विधिवत तामील करवाये बिना तामील कुनिन्दा व दो व्यक्तियों से मिलकर अपराधिक षडयंत्र रचकर कानून के विपरीत तरीके से नोटिस पर यह अंकित करवा दिया कि आसामी घर पर नहीं मिला उसके खुले मकान पर एक पडत चस्पा किया, जबकि बिना न्यायालय की अनुमति के चस्पानगी से तामील नहीं करवाई जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही विधि विरूद्ध तामील को सही मानकर निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है । ऐसी स्थिति में भी निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2021 को निरस्त किया जावे। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2002(2) पेज 1310–1311 (2) 2013 (2) आर.आर.टी. 985 पेज 985–987, आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 1239–1241 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 24.11.2021 के द्वारा ग्राम दौलपुरा तहसील दांतारामगढ के ख.नं. 185, 659, 660, 661, 669, 194, 715/193 एवं ग्राम अहीर का बास पटवार हल्का रामगढ के खसरा नं 2 में से रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर ने तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर के दिनांक 24.11.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर के प्रस्ताव

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

दिनांक 24.11.2021 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये ना0 करण रास्ते के पृथक खसरा नंबर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये एवं नक्शे में तरमीम करने तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में रखने तथा तहसीलदार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश के भाग रखने के आदेश दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर द्वारा निर्णय दिनांक 16.07.2021 के तहत फसल रास्ता, पूर्व से ही मौके पर विद्यमान था। रास्ता के ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जिसमें तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खसरा नम्बर 185, 194 वाके ग्राम दौलपुरा एवं खसरा नम्बर 2 ग्राम वाके अहीर का बास में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ता के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया, पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस एवं न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर के प्रस्ताव दिनांक 16.07.2021 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट केशर देवी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके नहीं मिलने से खुले मकान पर चस्पा किया जाकर तामील मानी गई है जबकि बिना न्यायालय की अनुमति के चस्पानगी से तामील नहीं करवाई जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना ही विधि विरूद्ध तामील को सही मानकर निर्णय पारित किया है। और बहस के दौरान उसकी अनुपस्थिति में तहसीलदार दांतारामगढ के प्रस्ताव पर एकपक्षिय बहस सुन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है तथा निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित करना चाहियें था। लेकिन ऐसा नहीं कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ के स्तर पर अपीलकर्ता को सुनकर एवं मौके का निरीक्षण कर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलकर्ता की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है। तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमान्ड किये जाने योग्य है तथा खसरा नम्बर 2, 185, 194 की हद तक रिमांड किया जाना उचित प्रतीत होता है। शेष निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः—अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विवादित खसरा नम्बर 2, 185, 194 के बारे में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर को रिमांड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनकर एवं मौके का अवलोकन करके पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर का निर्णय दिनांक 16.07.2021 का शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ.गिरीश पाराशर)
अति. समागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner